विशेष ध्यान देने व वर्तमान में इन संस्थानों के लिए कोई मानक नहीं होने के कारण किसी निगरानी करने में कठिनाई आने की बात बताई। आयोग का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों और उनके अधिकारों की सुरक्षा करना है, जिसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, समाज कल्याण, प्रोबेशन, चाइल्डलाइन, श्रम विभाग और बाल कल्याण समिति से समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया।

श्रीमती रेखा रौतेला, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा कार्यशाला में आये समस्त अधिकारियों, विभागों, गैर सरकारी समाज सेवी संस्थाओं तथा श्रोतागणों का अभिवादन करते हुये विचारों का सारांश प्रस्तुत कर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। श्रीमती ममता रौथाण, विधि अधिकारी, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आयोग की संरचना, कार्यप्रणाली, उत्तरदायित्व और शक्तियाँ, कार्य व उद्देश्य की जानकारी से सभा को अवगत करवाया साथ ही आयोग की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया गया।

श्रीमती अभिलाषा तिवारी, विधि–सह–परिवीक्षा अधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, अल्मोड़ा ने वर्तमान में अल्मोड़ा में संचालित योजनाओं से अवगत करवाया तथा बताया कि मिशन वात्सल्य योजना के तहत 9 जनवरी 2024 से बीस सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, जो कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित महिला एवं बालगृहों का विवरण, राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र, बख, अल्मोड़ा, राजकीय शिशु बाल गृह, बख, अल्मोड़ा, राजकीय बाल गृह किशोरी, बख, अल्मोड़ा, राजकीय संरक्षण गृह, पाण्डेखोला, अल्मोड़ा, राजकीय विशेष गृह, बालिका, अल्मोड़ा है। इसी के साथ जनपद अल्मोड़ा में संचालित संस्थाओं का विवरण भी प्रस्तुत किया। श्री देवेन्द्र पींचा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोडा के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक विमल प्रसाद द्वारा उपस्थित छात्र–छात्रओं को सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी। अन्त में कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापित कर किया गया।

डॉ0 गीता खन्ना, मा0 अध्यक्ष, श्रीमती रेखा रौतेला, मा0 सदस्य उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग जनपद अल्मोड़ा में कार्यशाला में स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए।

बाल अधिकारों एवं बाल सुरक्षा के सम्बन्ध में संवेदीकरण व जागरूकता कार्यशाला

जनपद - पिथौरागढ़

दिनांक **18 जनवरी, 2024।**

स्थान **विकास भवन सभागार, जनपद** पिथौरागढ़।

डॉ0 गीता खन्ना, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग– के द्वारा विभिन्न जनपदों में कार्यशाला आयोजित किये जाने के कारण व मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों और उनके अधिकारों की सुरक्षा करने की बात कही। उन्होने शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, समाज कल्याण, प्रोबेशन, चाइल्ड लाइन, श्रम विभाग, सीडब्लयूसी से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने को कहा। बच्चों को हिंसा, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, बाल श्रम, बाल व्यापार, दुर्व्यवहार, प्रताड़ना और शोषण, पोर्नोग्राफी, बाल विवाह, भिक्षावृत्ति पर पूरी तरह रोक लगानी है और बच्चों को शिक्षा के अधिकारी के तहत जोड़ना है। साथ ही यह भी बताया कि बाल संरक्षण आयोग जनपद स्तर पर इसी लिए कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। ताकि प्रत्येक जनपद में जाकर सम्बन्धित विभागो, बच्चों के साथ काम कर रहे एन0जी0ओं0 एवं अध्यापकों आदि से मिलकर बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके।

डॉ0 गीता खन्ना, मा0 अध्यक्ष, श्री विनोद कपरवाण, मा0 सदस्य, श्रीमती सुमन राय, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग जनपद पिथौरागढ़ में कार्यशाला में अधिकारी गणों को सम्बोधित करते हुए।

श्रीमती ममता रौथाण, विधि अधिकारी, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग– ने आयोग के गठन, कार्यप्रणाली, उत्तरदायित्व और शक्तियाँ, कार्य व उद्देश्य की जानकारी से सभा को अवगत करवाया। साथ ही आयोग की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया गया। श्री संजय गौरव, जिला परिवीक्षा अधिकारी, ने पिथोरागढ़ की चाइल्ड लाइन नेटवर्क और बाल कल्याण समितियों द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दी। श्रीमती सुमन राय, सदस्य, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कार्यशाला में उपस्थित सभी अधिकारियों और संस्थाओं को धन्यवाद दिया और उनके विचारों का सारांश प्रस्तुत किया।

श्री संजय गौरव, जिला परिवीक्षा अधिकारी/जिला प्रोबेशन कार्यालय, पिथोरागढ – उक्त कार्यशाला में डी0पी0ओ0 पिथौरागढ के द्वारा अवगत कराया गया कि पिथौरागढ की चाईल्ड लाईन के समन्वयक का नेटवर्क बहुत अच्छा है उनके द्वारा बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, बाल विवाह रोकने के प्रयास किये गये है।नशामुक्ति के लिये विभिन्न कार्य किये गये हैं।

आयोग के मा0 सदस्य श्रीमती सुमन राय– उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की मा0 सदस्य व आयोजित कार्यशाला की अध्यक्ष श्रीमती सुमन राय द्वारा कार्यशाला में आये समस्त अधिकारियों, विभागों, गैर सरकारी समाज सेवी संस्थाओं तथा श्रोतागणों का अभिवादन करते हुये विचारों का सारांश प्रस्तुत कर धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

**श्रीमती ममता रौथाण, विधि अधिकारी,
उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग
कार्यशाला में अधिकारी गणों
को सम्बोधित करते हुए।**

**श्री संजय गौरव, जला परिवीक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़
कार्यशाला में अधिकारी गणों
को सम्बोधित करते हुए।**

राष्ट्रीय बालिका दिवस

दिनांक- 24 जनवरी , 2024

स्थान - राजभवन, देहरादून।

मुख्य अतिथि - महामहिम राज्यपाल, ले०ज० श्री गुरमीत सिंह
विशिष्ट अतिथि - श्रीमती गुरमीत कौर (प्रदेश की प्रथम महिला)

मा0 अध्यक्ष महोदया डा0 गीता खन्ना द्वारा कार्यशाला में उपस्थित सभी अतिथिगणों का स्वागत सम्बोधन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा मा0 राज्यपाल महोदय को आयोग द्वारा नशा प्रवृत्ति, बाल अधिकारों, बाल विवाह, अवैधानिक रूप से संचालित कोंचिग इंस्ट्यूटस, शासन स्तर पर किड्स स्कूलों हेतु नियमावली तैयार किये जाने पर आयोग स्तर से की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया। बालक बालिकाओं में विधान सभा की कार्यप्रणाली को समझने व उससे जागरूकता हेतु आयोग स्तर से आयोजित बाल विधान सभा– 2022 से भी महामहिम को अवगत कराया गया।

मुख्य सत्र में सुश्री अंजलि चौहान, मुख्य कार्यक्रम अधिकारी, नेशनल जेंडर एण्ड चाईल्ड सेंटर, ने "gender equality" विषय पर चर्चा किया तथा उक्त विषय पर बालिकाओं के साथ गहन संवाद किया और उनके प्रश्नों का समाधान किया। बालिकाओं को इस विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई और उनके साथ अनुभव भी साझा किए गए। कार्यक्रम के दौरान बालिका दिवस के अवसर पर तैयार की गई फिल्म का लोर्कापण माननीय राज्यपाल के समक्ष किया गया। इस फिल्म ने बालिका अधिकारों और उनकी सुरक्षा पर जोर दिया।

महामहिम राज्यपाल, ले०ज० श्री गुरमीत सिंह, श्रीमती गुरमीत कौर (प्रदेश की प्रथम महिला), श्री दीपक गुलाटी, मा0 सदस्य, श्री प्रदीप सिंह रावत, सचिव, श्री विनोद कपरवाण, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग राष्ट्रीय बालिका दिवस के कार्यक्रम में।

मा0 अध्यक्ष महोदया डा0 गीता खन्ना द्वारा कार्यशाला में उपस्थित सभी अतिथिगणों का स्वागत सम्बोधन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा मा0 राज्यपाल महोदय को आयोग द्वारा नशा प्रवृत्ति, बाल अधिकारों, बाल विवाह, अवैधानिक रूप से संचालित कोंचिग संस्थान, शासन स्तर पर किड्स स्कूलों हेतु नियमावली तैयार किये जाने पर आयोग स्तर से की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया। बालक बालिकाओं में विधान सभा की कार्यप्रणाली को समझने व उससे जागरूकता हेतु आयोग स्तर से आयोजित बाल विधान सभा– 2022 से भी महामहिम को अवगत कराया गया।

मुख्य सत्र में सुश्री अंजलि चौहान, मुख्य कार्यक्रम अधिकारी, नेशनल जेंडर एण्ड चाईल्ड सेंटर, ने "gender equality" विषय पर चर्चा किया तथा उक्त विषय पर बालिकाओं के साथ गहन संवाद किया और उनके प्रश्नों का समाधान किया। बालिकाओं को इस विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई और उनके साथ अनुभव भी साझा किए गए। कार्यक्रम के दौरान बालिका दिवस के अवसर पर तैयार की गई फिल्म का लोर्कापण माननीय राज्यपाल के समक्ष किया गया। इस फिल्म ने बालिका अधिकारों और उनकी सुरक्षा पर जोर दिया।

महामहीम श्री राज्यपाल ने आयोग द्वारा बच्चों के भविष्य और उनके विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बाल विधानसभा–2022 की सफलता पर बधाई दी और भविष्य में भी इस तरह के उत्साहवर्धन कार्यों की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में बहादुर बालिकाओं और बाल विधायकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए महामहीम श्री राज्यपाल के कर कमलों द्वारा प्रमाण पत्र और शॉल देकर सम्मानित करवाया गया। इसके अतिरिक्त, बालक और बालिकाओं के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों विशिष्ट व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया।

महामहिम राज्यपाल, ले०ज० श्री गुरमीत सिंह राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सभा को सम्बोधित करते हुए।

राष्ट्रीय कार्यशाला

Emerging Policy Shifts for Strengthening Child Rights

दिनांक- 12-14 फरवरी , 2024

प्रथम दिवस - 12 फरवरी 2024

मुख्य अतिथि - श्रीमती रेखा आर्या
मा0 कैबिनेट मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों के अधिकारों से संबंधित नीतियों पर अन्य राज्यों के बाल आयोगों के मा0 अध्यक्षों के साथ चर्चा और विचार विमर्श के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। जिसमें प्रमुख रूप से बाल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपविषयों पर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिया गया। डा0 गीता खन्ना, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इस आयोजन की महत्ता पर प्रकाश डाला। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य भविष्य के लिए एक ठोस नवाचार नीति तैयार करना था, जिससे कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके विकास को सुनिश्चित किया जा सके। कार्यशाला में बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई, और आगामी नीतियों के निर्माण में इन विचारों को सम्मिलित करने के लिए एक ठोस आधार तैयार किया गया।

श्रीमती रेखा आर्या, मा0 कैबिनेट मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, डॉ0 गीता खन्ना, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, श्रीमती कुसुम कंडवाल, मा0 अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग एवं अतिथिगण दीप प्रज्जवलित कर राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारम्भ करते हुए।

कार्यशाला के प्रतिभागी व उद्घाटन सत्र

उक्त कार्यशाला में देश भर के अठ्ारह (18) राज्यों के बाल अधिकार संरक्षण आयोगों के अध्यक्ष, सचिव व सदस्य सचिवों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें सभी के द्वारा बाल अधिकारों के सम्बन्ध में गहन चिन्तन व नई नीतियों के निर्धारण हेतु रूपरेखा तैयार किये जाने पर जोर दिया गया। कार्यशाला में प्रदेश के सभी राज्य स्तर के पदाधिकारी एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री नरेश बंसल, राज्यसभा सांसद, के द्वारा नशे की प्रवृत्ति, बालश्रम और भिक्षा जैसे गंभीर मद्दों पर चर्चा की गयी। कार्यशाला को चार तकनीकी सत्रों में विभाजित किया गया, जिसमें बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों ने विचार–विमर्श किया। श्रीमती रेखा आर्या, मा0 कैबिनेट मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हो कर कार्यशाला की गरिमा बढ़ाई। देश के अट्ठारह राज्यों से सम्मिलित होने वाले सभी महानुभावों को शॉल, मोमेन्टो व पौधे भेंट कर सम्मानित किया गया।

तकनीकी सत्र

कार्यशाला के पहले दिन के पहले तकनीकी सत्र में बाल हितों के विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। जिसमें विशेषज्ञों ने बाल सुरक्षा और परिवार आधारित देखभाल की महत्ता पर अपने अनुभव साझा किए और इसे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक बताया। सत्र की मुख्य वक्ता **सुश्री करुणा नारंग**, फ्रीलांसर, ने परिवार आधारित देखभाल की महत्वपूर्णता, दत्तक ग्रहण के विकल्प और कानूनी प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने किशोर न्याय अधिनियम की प्रासंगिकता और बाल संरक्षण में इसके योगदान पर भी चर्चा की। इसके साथ ही, दत्तक ग्रहण के विभिन्न पहलुओं, सामाजिक चुनौतियों, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर भी बात की।

सह–वक्ता **सुश्री संध्या मिश्रा**, मिरेकल फाउंडेशन, नई दिल्ली, ने परिवारों से अलग हुए बच्चों की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने परिवार सुदृढ़ीकरण और परिवार–आधारित विकल्पों के महत्व की व्याख्या की और मिशन वात्सल्य के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। उनके द्वारा बच्चों को गैर–संस्थागत देखभाल प्रदान करने, परिवारों को सशक्त बनाने, और सामाजिक कार्यबल द्वारा प्रभावी गेटकीपिंग पर भी चर्चा की गई। मिरेकल फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में शैक्षणिक सहायता, रोजगार कौशल, मनो–सामाजिक समर्थन, युवा भागीदारी, और 360^{0} समर्थन शामिल हैं। ये कार्यक्रम बच्चों और युवाओं के समग्र विकास और उनके भविष्य को सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित किए जा रहे हैं।

श्री पीटर एफ0 बोर्जेस, मा0 अध्यक्ष, गोवा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा कार्यशाला में गोवा में बाल पुनर्वास की चुनौतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा किया गया। उन्होंने पुनर्वास के दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता पर जोर देते हुए, समग्र बाल पुनर्वास के लिए दिशानिर्देश और मिशन वात्सल्य के लाभ साझा किए। उन्होंने मौजूदा कानूनों के साथ टकराव और नए दिशानिर्देशों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से 815 बाल सुधार गृहों में 17 लाख बच्चों के संभावित शोषण की चिंता व्यक्त की। कार्यशाला के अंतर्गत, डा0 बसन्ती बिष्ट और उनकी टीम ने उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया, जिससे उपस्थित अतिथियों को प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर से अवगत कराया गया।

द्वितीय दिवस - 13 फरवरी 2024 मुख्य अतिथि - श्री धन सिंह रावत

मा0 कैबिनेट मंत्री, शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री

द्वितीय दिवस के कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि, डा0 धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ एवं शिक्षा विभाग द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। उनके द्वारा बाल अधिकारों पर गहन विचार–विमर्श और नई नीतियों की रूपरेखा तैयार करने पर जोर दिया गया तथा बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, और मिशन वात्सल्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर इस संकलन की उपयोगिता की सराहना की। राज्य में 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के विवाह पर पूर्ण रोक लगाने और शिक्षा के क्षेत्र में नए आयामों को लागू करने की जानकारी दी। उन्होंने उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एडमिशन अनिवार्य करने और नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाने की दिशा में शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया। मंत्री ने यह भी निर्देशित किया कि कार्यशाला में शिक्षा के अंतर्गत लिए गए फैसलों पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी और उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग को उनके अद्वितीय कार्य के लिए धन्यवाद और बधाई दी।

श्री धन सिंह रावत, मा0 कैबिनेट मंत्री, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग, डॉ0 गीता खन्ना, मा0 अध्यक्ष, श्री दीपक गुलाटी, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग कार्यशाला के बारे में चर्चा करते हुए।

तकनीकी सत्र को तीन भागों में विभाजित किया गया, जिसमें बाल हितों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने नशा, स्वास्थ्य, नई शिक्षा नीति, यातायात और बाल सुरक्षा जैसे प्रमुख विषयों पर अपने अनुभव साझा किए। इन चर्चाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर इन मद्दों के समाधान के लिए प्रभावी नीतियों और दृष्टिकोणों की पहचान करने में मदद की। द्वितीय दिवस की गतिविधियों ने बाल अधिकारों के संरक्षण और विकास के लिए नई दिशा और रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया।

तकनीकी सत्र

श्री आदित्य गोयिन्का, उप निदेशक, नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद के द्वारा प्रथम तकनीकी सत्र में चर्चा का प्रारंभ बाल सुरक्षा और यातायात सुरक्षा पर जानकारी देते हुए किया गया। उनके द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की भूमिका और बच्चों की सुरक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उनके द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों के सख्त पालन की आवश्यकता पर जोर देते हुए माता–पिता, शिक्षकों और ड्राइवरों के बीच जागरूकता बढ़ाने की अपील किया गया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत में 1.58 करोड़ बच्चों की नशीली दवाओं की आदतों के आंकड़ों को साझा किया। इन समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने ज्ञानवर्धक प्रशिक्षण और संवाद की रणनीतियों की पेशकश की।

श्री रविकांत सेमवाल, उत्तराखण्ड पुलिस (ट्रैफिक) ने यातायात सुरक्षा पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने ओवरलोडिंग, लापरवाही से गाड़ी चलाने, सुरक्षा गियर की उपेक्षा और नशे में गाड़ी चलाने जैसे सामान्य उल्लंघनों से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों जैसे गड्ढे, ओवरलोडिंग, मौसम की स्थिति और लापरवाही पर भी ध्यान केंद्रित किया। इन चर्चाओं ने बाल सुरक्षा और यातायात सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया और संबंधित नीतियों और कार्यवाहियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया।

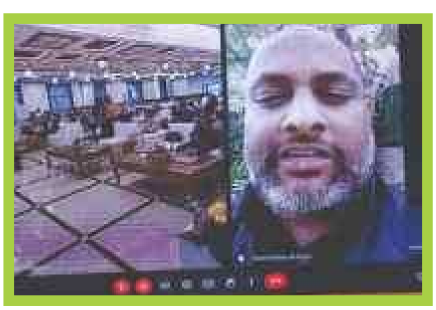

बाल अधिकारों और उनके संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता **श्री अनन्त अस्थाना** के द्वारा कानूनी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें उन्होंने बाल श्रम, बाल विवाह और शिक्षा के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मौजूदा कानूनों की ताकत और चुनौतियों का विश्लेषण किया। उन्होंने कानूनी सुधारों की आवश्यकता पर बल देते हुए सुझाव दिए कि कैसे वर्तमान कानूनों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

श्री गजेन्द्र नौटियाल के द्वारा बाल संरक्षण के क्षेत्र में गैर–सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया। उन्होंने बाल शोषण और बाल तस्करी के मुद्दों पर चर्चा की और अपने संगठन की पहल और अभियानों के माध्यम से बाल अधिकारों की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी ने सभी को बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित किया।

श्री अंकुश मिश्रा, डी0एस0पी0 (साइबर), उत्तराखण्ड पुलिस ने साइबर सुरक्षा के पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से सम्बन्धित मुद्दों की गहराई से चर्चा की, जिसमें गेमिंग ऐप्स के माध्यम से होने वाले वित्तीय नुकसान, महिलाओं को निशाना बनाने वाले ऑनलाइन ब्लैकमेल, और सोशल मीडिया पर गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता शामिल थी। श्री मिश्रा ने हैकिंग के जोखिमों, फर्जी प्रोफाइल और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने ऑनलाइन चुनौतियों और ब्लैकमेल को रोकने के उपायों पर भी विचार किया, साथ ही बैंक विवरण की सुरक्षा और साइबर अपराध की रिपोर्टिंग के तरीकों की जानकारी प्रदान की। अन्त में सभी को सतर्क रहने और साइबर खतरों से बचाव के लिए सक्रिय उपाय करने और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत रिपोर्टिंग के महत्व पर जोर दिया गया।

श्री आदित्या सैनी, सत्यार्थी फाउण्डेशन और आई0सी0पी0एफ0 ने बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। श्री सैनी ने सत्यार्थी फाउण्डेशन द्वारा बच्चों के शोषण और बाल श्रम के खिलाफ उठाए गए कदमों, शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा देने के प्रयासों, और सुरक्षित वातावरण निर्माण के कार्यों पर प्रकाश डाला। श्री सैनी ने विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों की चर्चा की जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा में सहायक हो सकते हैं, जैसे शिक्षा की पहुँच, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, और बाल शोषण के खिलाफ कानूनी प्रावधान।

सुश्री कुमकुम कुमार, निदेशक, सी0सी0सी0डी0, नई दिल्ली ने बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के महत्व पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। कार्यशाला के समापन के बाद, परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश में स्वामी चिदानंद जी महाराज की संध्या आरती का आयोजन किया गया। स्वामी चिदानंद जी ने सभी को गुरू मंत्र प्रदान करते हुए बच्चों के लिए चिकित्सा, शिक्षा और संस्कार पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया, जिससे कार्यशाला का समापन प्रेरणादायक और विशेष बन गया।

तृतीय दिवस - 14 फरवरी 2024

तकनीकी व समापन सत्र

कार्यशाला के तीसरे दिन बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर चर्चा की गई। डा0 गीता खन्ना, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों और उनके प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए इस प्रकार के आयोजनों की महत्ता को रेखांकित किया तथा नई नीतियों की आवश्यकता पर बल दिया।

श्री पवन शर्मा, मनोवैज्ञानिक, फॉरगिवनेस फाउंडेशन, देहरादून के द्वारा बच्चों और किशोरों की वर्तमान परेशानियों और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव की चर्चा की। उन्होंने किशोरावस्था में शारीरिक बदलावों के कारण मानसिक और सोचने की क्षमताओं में आए परिवर्तनों को स्पष्ट किया। श्री शर्मा ने बताया कि आत्म–सम्मान में कमी के कारण बच्चे अक्सर अंतर्मुखी हो जाते हैं। इस सत्र के दौरान विभिन्न राज्यों के बाल अधिकार संरक्षण आयोगों ने अपने–अपने आयोगों की जानकारी भी साझा की।

समापन सत्र में, आयोग के सदस्य **श्री अजय वर्मा** के द्वारा बताया गया कि उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग आयोग नियमित रूप से विभिन्न जनपदों में बाल हितों पर जागरूकता फैलाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करता है। श्रीमती रेखा रौतेला ने बाल हितों पर की गई गहन चर्चा, नशा, स्वास्थ्य, नई शिक्षा नीति, यातायात और बाल सुरक्षा जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा साझा किए गए अनुभवों की सराहना की। उन्होंने देवभूमि में ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

राष्ट्रीय कार्यशाला

कार्यशाला के सांस्कृतिक सांझ में जागर प्रस्तुति देती हुई डॉ. बसन्ती बिष्ट व टीम के अन्य कलाकार

कार्यशाला में प्रस्तुतिकरण देने वाले बच्चों के साथ आयोग की मा0 अध्यक्ष व महानुभाव

कार्यशाला में प्रस्तुतिकरण देते हुए स्कूल के बच्चे

18 राज्यों के महानुभावों को परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश में गंगा आरती के दर्शन कराते हुए।

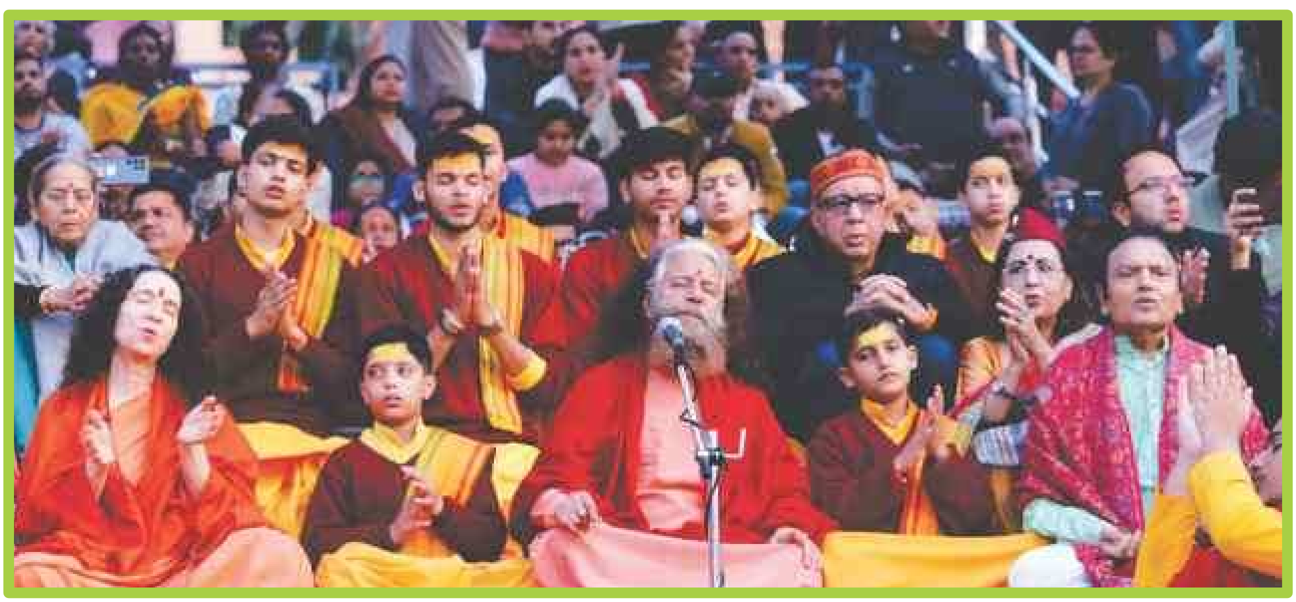

आयोग द्वारा किये गये निरीक्षण

वर्ष 2023–24 में आयोग द्वारा किये गये निरीक्षण

क्र0 सं0	निरीक्षण स्थल का विवरण	निरीक्षणों की सं0
1	विद्यालय	27
2	विशेष स्कूल	1
3	अस्पताल / रिहैब सैन्टर	2
4	कोचिंग संस्थान	2
5	संप्रेक्षण ग्रह	2
6	छात्रावास	3
7	अन्य	4
कुल योग		41

वर्ष 2023–24 में आयोग द्वारा किये गये समस्त निरीक्षणों की सूची

क्र0 सं0	दिनांक	निरीक्षण स्थल का विवरण		निरीक्षण टीम	
		जगह	जनपद	नाम	पद
1	21-Apr-23	सुभाष चन्द्र बोस छात्रावास, धर्मपुर	देहरादून।	श्री विनोद कपरवाण	सदस्य
				डा0 एस0 के0 सिंह	अनुसचिव
				श्रीमती ममता रौथाण	विधि अधिकारी
2	21-Apr-23	किड ज़ी, रेस कोर्स	देहरादून।	श्री विनोद कपरवाण	सदस्य
				डा0 एस0 के0 सिंह	अनुसचिव
				श्रीमती ममता रौथाण	विधि अधिकारी
3	8-May-23	कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, राजपुर रोड।	देहरादून।	डा0 गीता खन्ना	अध्यक्ष
				श्री विनोद कपरवाण	सदस्य
4	17-May-23	रेड फोर्ट एकेडमी	ऋषिकेश।	डा0 गीता खन्ना	अध्यक्ष
				श्री विनोद कपरवाण	सदस्य
				श्रीमती ममता रौथाण	विधि अधिकारी

5	14-Jun-23	दून अस्पताल	देहरादून।	डा0 गीता खन्ना	अध्यक्ष
				श्री विनोद कपरवाण	सदस्य
				डा0 एस0 के0 सिंह	अनुसचिव
6	09-Aug-23	श्री चैतन्या टैक्नो स्कूल, इन्द्रानगर।	देहरादून।	डा0 गीता खन्ना	अध्यक्ष
				श्री विनोद कपरवाण	सदस्य
				श्रीमती ममता रौथाण	विधि अधिकारी
7	17-Aug-23	फीलफोट स्कूल	देहरादून।	श्री विनोद कपरवाण	सदस्य
				श्रीमती ममता रौथाण	विधि अधिकारी
8	17-Aug-23	पॉलीकिड्स स्कूल, माजरा	देहरादून।	श्री विनोद कपरवाण	सदस्य
				श्रीमती ममता रौथाण	विधि अधिकारी
9	7-Oct-23	ओलिवीया इन्टरनैशनल स्कूल	हरिद्वार	श्री विनोद कपरवाण	सदस्य
				डा0 एस0 के0 सिंह	अनुसचिव
10	7-Oct-23	गुडविल पब्लिक स्कूल	हरिद्वार	श्री विनोद कपरवाण	सदस्य
				डा0 एस0 के0 सिंह	अनुसचिव
11	7-Oct-23	डैमकिड्स स्कूल	हरिद्वार	श्री विनोद कपरवाण	सदस्य
				डा0 एस0 के0 सिंह	अनुसचिव
12	11-Oct-23	संप्रेक्षण गृह, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर	ऊधमसिंहनगर	डा0 गीता खन्ना	अध्यक्ष
				श्री विनोद कपरवाण	सदस्य
				श्री दीपक गुलाटी	मा0 सदस्य
				डा0 एस0 के0 सिंह	अनुसचिव
13	11-Oct-23	बनबासी कन्या छात्रावास, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर	ऊधमसिंहनगर	डा0 गीता खन्ना	अध्यक्ष
				श्री विनोद कपरवाण	सदस्य
				श्रीमती सुमन राय	मा0 सदस्य
14	12-Oct-23	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस छात्रावास, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर	ऊधमसिंहनगर	डा0 गीता खन्ना	अध्यक्ष
				श्री विनोद कपरवाण	सदस्य
				श्री दीपक गुलाटी	मा0 सदस्य
				श्रीमती सुमन राय	मा0 सदस्य
				डा0 एस0 के0 सिंह	अनुसचिव

15	12-Oct-23	अन्मोल फाउन्डेशन, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर	ऊधमसिंहनगर	डा0 गीता खन्ना श्री विनोद कपरवाण	अध्यक्ष सदस्य
16	3-Nov-23	लिटिल स्टार पब्लिक स्कूल, सेलाकुई	देहरादून।	श्री विनोद कपरवाण डा0 एस0 के0 सिंह	सदस्य अनुसचिव
17	3-Nov-23	विकास वैली स्कूल, विकासनगर	देहरादून।	श्री विनोद कपरवाण डा0 एस0 के0 सिंह	सदस्य अनुसचिव
18	3-Nov-23	होली फेथ, हर्बटपुर	देहरादून।	श्री विनोद कपरवाण डा0 एस0 के0 सिंह	सदस्य अनुसचिव
19	17-Nov-23	एन मैरी स्कूल, देहरादून।	देहरादून।	श्री विनोद कपरवाण डा0 एस0 के0 सिंह	सदस्य अनुसचिव
20	1-Dec-23	माउन्ट लिट्रा ज़ी स्कूल, भनियावाला	देहरादून।	श्री विनोद कपरवाण डा0 एस0 के0 सिंह	सदस्य अनुसचिव
21	1-Dec-23	नीलू मैमोरियल स्कूल	देहरादून।	श्री विनोद कपरवाण डा0 एस0 के0 सिंह	सदस्य अनुसचिव
22	1-Dec-23	कैन्टरबरी बैल्स स्कूल	देहरादून।	श्री विनोद कपरवाण डा0 एस0 के0 सिंह	सदस्य अनुसचिव
23	7-Dec-23	नरचर इन्टरनैशनल स्कूल	हरिद्वार।	श्री विनोद कपरवाण डा0 एस0 के0 सिंह	सदस्य अनुसचिव
24	7-Dec-23	गुरूद्रोण पब्लिक स्कूल	हरिद्वार।	श्री विनोद कपरवाण डा0 एस0 के0 सिंह	सदस्य अनुसचिव
25	7-Dec-23	सनसाईन पब्लिक स्कूल	हरिद्वार।	श्री विनोद कपरवाण डा0 एस0 के0 सिंह	सदस्य अनुसचिव
26	7-Dec-23	रोशनलाल पब्लिक स्कूल	हरिद्वार।	श्री विनोद कपरवाण डा0 एस0 के0 सिंह	सदस्य अनुसचिव
27	7-Dec-23	पी0एस0 एशियन पब्लिक स्कूल	हरिद्वार।	श्री विनोद कपरवाण डा0 एस0 के0 सिंह	सदस्य अनुसचिव
28	8-Dec-23	माउन्ट लिट्रा ज़ी स्कूल, बहादराबाद	हरिद्वार।	श्री विनोद कपरवाण डा0 एस0 के0 सिंह	सदस्य अनुसचिव

29	8-Dec-23	शैफिल्ड स्कूल, बहादराबाद	हरिद्वार।	श्री विनोद कपरवाण	सदस्य
				डा0 एस0 के0 सिंह	अनुसचिव
30	8-Dec-23	सती ध्रूव बाल मन्दिर सीनियर सेकेन्डरी स्कूल	हरिद्वार।	श्री विनोद कपरवाण	सदस्य
				डा0 एस0 के0 सिंह	अनुसचिव
31	19-Dec-23	रोशनलाल पब्लिक स्कूल	हरिद्वार।	श्री विनोद कपरवाण	सदस्य
				डा0 एस0 के0 सिंह	अनुसचिव
32	20-Dec-23	सेंट थामस किड्स स्कूल बहादराबाद	हरिद्वार।	श्री विनोद कपरवाण	सदस्य
				डा0 एस0 के0 सिंह	अनुसचिव
33	20-Dec-23	रा0 प्रा0विद्यालय भेल सेक्टर	हरिद्वार।	श्री विनोद कपरवाण	सदस्य
				डा0 एस0 के0 सिंह	अनुसचिव
34	22-Dec-23	फन्नी बन्नी किड्स स्कूल बहादराबाद	हरिद्वार।	श्री विनोद कपरवाण	सदस्य
				डा0 एस0 के0 सिंह	अनुसचिव
35	26-Dec-23	आकाश कोचिंग संस्था	देहरादून।	डा0 गीता खन्ना	अध्यक्ष
				श्री विनोद कपरवाण	सदस्य
36	26-Dec-23	ऐलन कोचिंग संस्था	देहरादून।	डा0 गीता खन्ना	अध्यक्ष
				श्री विनोद कपरवाण	सदस्य
37	16-Jan-24	संप्रेक्षण ग्रह	अल्मोड़ा	डा0 गीता खन्ना	अध्यक्ष
				श्री विनोद कपरवाण	सदस्य
				श्रीमती सुमन राय	मा0 सदस्य
				श्रीमती रेखा रौतेला	मा0 सदस्य
				श्री अजय वर्मा	मा0 सदस्य
				श्रीमती ममता रौथाण	विधि अधिकारी
38	18-Jan-24	महिला चिकित्सालय	पिथौरागढ़	डा0 गीता खन्ना	अध्यक्ष
				श्री विनोद कपरवाण	सदस्य
				श्रीमती सुमन राय	मा0 सदस्य
39	27-Feb-24	सेलाकुई, विकासनगर (देह व्यापार का मामला)	देहरादून।	डा0 गीता खन्ना	अध्यक्ष
				श्री विनोद कपरवाण	सदस्य
				डा0 एस0 के0 सिंह	अनुसचिव

40	27-Feb-24	गुज्जर बस्ती, गुमानीवाला, गली न0 5, ऋषिकेश (बाल विवाह का मामला)	देहरादून।	डा0 गीता खन्ना	अध्यक्ष
				श्री विनोद कपरवाण	सदस्य
				सुश्री निशात इकबाल	बाल मनोवैज्ञानिक
41	29-Feb-24	दिल्ली पब्लिक स्कूल, सितारगंज	उधमसिंहनगर	श्रीमती सुमन राय	मा0 सदस्य
42	1-Mar-24	रेसकोर्स (आत्महत्या व बालश्रम का मामला)	देहरादून।	डा0 गीता खन्ना	अध्यक्ष
				श्री विनोद कपरवाण	सदस्य

आयोग द्वारा किये गये निरीक्षणों का विवरण

निरीक्षण प्रकरण – 1

दिनांक	:	17 मई, 2023
स्थान	:	रेड फोर्ट इंटरनेशनल स्कूल, विस्थापित कॉलोनी ऋषिकेश, देहरादून।
निरीक्षण टीम	:	डा0 गीता खन्ना, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून।
		श्री विनोद कपरवाण, सदस्य, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून।
		श्रीमती ममता रौथाण, विधि अधिकारी, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून।
		श्रीमती सुमन अग्रवाल, खण्ड शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, देहरादून।
		सुश्री सम्पूर्णा भट्ट, संरक्षण अधिकारी, डी0सी0पी0यू0।

विद्यालय के प्रधानाचार्य डा0 सुरवीर सिंह बिष्ट और श्री विशाल शर्मा के द्वारा बताया गया कि विद्यालय में कुल 721 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनमें से 28 बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो रही है। विद्यालय द्वारा वार्षिक शुल्क 3000 रुपये लिया जाता है, जिसमें योगा, ताईक्वांडो, संगीत और कम्प्यूटर की फीस शामिल है। हालांकि, निरीक्षण में यह पाया गया कि कक्षा 3 के बच्चों के बैग का वजन 6.75 किलोग्राम है, जबकि कक्षा 11 के बच्चों के बैग का वजन 7 किलोग्राम है, जो शासनादेश के अनुसार अधिक है। इसके अलावा, विद्यालय में काउंसलर की नियुक्ति नहीं की गई है और विद्यालय का नक्शा भी पास नहीं है। नियमों के विपरीत, विद्यालय द्वारा कॉशन मनी और वार्षिक शुल्क लिया जा रहा है, जो शासनादेश के अनुसार मान्य नहीं है। प्रबंधक ने जानकारी दी कि विद्यालय की भूमि टिहरी विस्थापितों की है, जिसमें दाखिल–खारिज की प्रक्रिया नहीं होती। विद्यालय का ढांचा उचित रूप से बनाया गया है और इसमें एक शूटिंग रेंज भी स्थापित है।

आयोग ने निरीक्षण के आधार पर दो महत्वपूर्ण संस्तुतियां दीं। पहली संस्तुति के तहत, मा0 अध्यक्ष महोदया ने विद्यालय की भूमि पर दाखिल–खारिज की कार्यवाही के लिए गढ़वाल कमिश्नर को पत्र प्रेषित किया और अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिए। दूसरी संस्तुति के अनुसार, रेड फोर्ट इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य के द्वारा ली गयी कॉशन मनी को अग्रिम माह की फीस में समायोजित करवा दिया गया।

निरीक्षण प्रकरण – 2

दिनांक : 27 फरवरी, 2024

विषय : आयोग को ऋषिकेश में 14 वर्षीय बालिका के बाल विवाह होने की सूचना पर मौके पर पहुच कर बालिका व परिवारजन के साथ मुलाकात कर जानकारी ली गयी।

निरीक्षण टीम : डा0 गीता खन्ना, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून।
श्री विनोद कपरवाण, सदस्य, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून।
निशात इकबाल, बाल मनोवैज्ञानिक, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून।

निरीक्षण एक नाबालिग बालिका के विवाह करवाये जाने के गुप्त सूचना का संज्ञान लेते हुए किया गया। जिसमें सामने आया कि बालिका गुज्जर समाज के प्रतिष्ठित परिवार से है और उसके परिवार में सात भाई–बहन हैं, जिनमें वह सबसे छोटी है। बालिका ने बताया कि उसके माता–पिता की आयु अधिक हो चुकी है तथा वह अब बीमार रहते है इस कारण उसकी शादी की तैयारी की जा रही थी, जबकि माता–पिता ने कहा कि बालिका की विदाई बड़े होने पर ही की जानी थी। बालिका ने यह भी बताया कि उसे 5–6 साल की उम्र से मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जिनके कारण वह कभी स्कूल नहीं गई।
आयोग ने परिवार के बुजुर्गों, बालिका की माता और स्वयं बालिका को स्वालंबन के लिए प्रेरित किया। बालिका की मिर्गी के इलाज के लिए उपयोग की जा रही दवाइयों की जांच स्वयं डा0 गीता खन्ना, मा0 अध्यक्ष के द्वारा किया गया। बाल मनोवैज्ञानिक के दौरान बालिका को परिवार के प्रति समर्पण और जीवन के मूल्यों की जानकरी भी दिया गया और जल्दी विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया। परिवारजन के द्वारा आश्वस्त किया गया कि बालिका का विवाह वर्तमान में नहीं किया जाएगा, उसके बड़े होने पर ही किया जाएगा।
आयोग ने शिक्षा विभाग को पत्र प्रेशित कर बालिका को शिक्षा की मुख्यधारा से जोडने के निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा विभाग को बालिका की मिर्गी की जांच और उचित इलाज सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। इस प्रकार, आयोग ने बालिका और उसके परिवार को उचित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की और उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की निर्देश दिये गए।

आयोग द्वारा आहूत बैठकें

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बोर्ड बैठकें

दिनांकः 21.08.2023 का कार्यवृत

क0सं0	विषय	बिन्दु	निर्णय
01.	विभागाध्यक्ष **Head of the Department (HOD)**	शासन के पत्र संख्या–621 / XVII(4)/2022-230/2010 दिनांकः 13.06.2020 के क्रम में सचिव, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग को आयोग का Head of the Department (HOD) बनाये जाने का प्रस्ताव शासन में प्रचलित है। उक्त क्रम में आयोग द्वारा अपने पत्र सं0–865 / SCPCR.UK / 2023–24 दिनांकः 27 जुलाई, 2023 शासन को प्रेषित किया गया है।	इस संबंध में बोर्ड की बैठक में चर्चा की गयी, जिसमें सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि आयोग का Head of the Department (HOD) बनाये जाने के प्रस्ताव पर पुनः अनुस्मारक पत्र शासन को प्रेषित कर पैरवी की जाए। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
02.	महानुभावों का स्तर (दर्जा)	उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पत्र संख्या–256 / SCPCR.UK / 2022–23 दिनांकः 28 अप्रैल, 2022 के द्वारा उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग में नियुक्त महानुभावों के स्तर (दर्जा) के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है, जिस हेतु आयोग द्वारा पुनः पत्र संख्या– 656 दिनांक 12.07.2022 एवं पत्र संख्या– 1279 दिनांक 11.10.2022 के माध्यम से भी उत्तराखण्ड शासन को पत्र प्रेषित किये गये है।	इस संबंध में बोर्ड की बैठक में चर्चा की गयी, जिसमें सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 अध्यक्ष महोदय के दर्जे का स्पष्ट उल्लेख करते हुए शसनादेश के क्रम में श्रेणी हेतु शासन को पत्र प्रेषित करते हुए अवगत कराये की वर्तमान में अध्यक्ष महोदया को राज्यमंत्री श्रेणी का मानते हुए भुगतान किया जा रहा है। प्रस्ताव पर पुनः अनुस्मारक पत्र शासन को प्रेषित कर पैरवी की जाए। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। सचिव महोदय द्वारा बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्ताव मुख्यमंत्री महोदय स्तर का है जिस पर शासन स्तर पर बैठक किया जाना उचित होगा, जिस पर बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।
03.	मा0 सदस्यों को वाहन सुविधा के संबंध में।	उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पत्र संख्या–255 / SCPCR.UK / 2022–23 दिनांकः 28 अप्रैल, 2022 के द्वारा आयोग के शासकीय कार्यो के दृष्टिगत मा0 सदस्यों को वाहन सुविधा अनुमन्य करवाए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिस हेतु आयोग द्वारा पुनः पत्र संख्या– 657 दिनांक 12.07.2022 एवं पत्र संख्या– 1278 दिनांक 11.10.2022 के माध्यम से भी उत्तराखण्ड शासन को पत्र प्रेषित किये गये है। 2–यहां यह भी अवगत कराना है कि मा0 सदस्यों को शासनादेश संख्या : 226 / XVII(4)2020–230 / 10 दिनांकः 26.02.2020 के द्वारा प्रतिमाह रू0. 5,000 / –(रू0.पांच हजार) मानदेय एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारी के समकक्ष टी0ए0 / डी0ए0 अनुमन्य है। मा0 सदस्यों द्वारा शासकीय कार्यो के	इस संबंध में सचिव महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 सदस्यों को शासनादेश संख्या : 226 / XVII(4)2020–230 / 10 दिनांकः 26.02.2020 के द्वारा प्रतिमाह रू0. 5,000 / –(रू0.पांच हजार) मानदेय एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारी के समकक्ष टी0ए0 / डी0ए0 अनुमन्य है। मा0 सदस्यों को द्वितीय श्रेणी के स्थान पर प्रथम श्रेणी के समकक्ष टी0ए0 / डी0ए0 हेतु बोर्ड में चर्चा हुयी व बोर्ड द्वारा बोर्ड द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। सचिव महोदय द्वारा बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्ताव शासन स्तर का है जिस पर शासन स्तर पर बैठक किया जाना उचित होगा, जिस पर बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

		सम्पादनार्थ हेतु टैक्सी/वाहन की मांग की जा रही है। इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। शासनस्तर पर कार्यवाही गतिमान है। मा0 सदस्यों के टी0ए0/डी0ए0 के वृद्धि के संबंध में चर्चा।	
04.	उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग हेतु एस0ओ0पी0	उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग हेतु एस0ओ0पी0 बनाये जाने पर स्वीकृति/अनुमति हेतु प्रस्तुत।	एस0ओ0पी0 बनाये जाने पर निम्न बिन्दुओं को सम्मलित करते हुए, तीन माह बाद अगली बोर्ड बैठक में ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर सहमत :– 1. वार्षिक कैलेण्डर 2. मासिक कैलेण्डर 3. वित्तीय कैलेण्ड प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से पारित किया गया।
05.	आयोग स्तर पर प्रस्तावित कार्यशाला	जनपद–देहरादून में राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला माह दिस्मबर हेतु किया जाना प्रस्तावित है। कार्यशाला का विषयक ''नई शिक्षा नीति को बच्चों में जीवन कौशल को उनकी आवश्यकता के अनुरूप श्रेणीबद्ध करने में बाल अधिकार संरक्षण आयोगों की भूमिका'' पर चर्चा व इसके अतिरिक्त अन्य विषयक पर स्वीकृति/अनुमति हेतु चर्चा।	इस संबंध में बोर्ड द्वारा चर्चा की गयी एवं कार्यशाला का आयोजन माह दिसम्बर की दि0–15 से दि0–20 के मध्य किये जाने पर सहमति बनी। कार्यशाला के आयोजन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनीस्ट्रेशन, मसूरी देहरादून में कराये जाने पर सहमति बनी।
06.	अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष के अनुमोदन से	अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष महोदया की अनुमति से। 1. मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा आयोग के ढांचे के संबंध में शासन को पुनः अनुस्मारक पत्र प्रेषित किये जाने। 2. मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा आयोग में आई0टी0 एक्सपर्ट व कोनटेक्सट राईटर की नियुक्ति किये जाने हेतु प्रस्ताव । 3. समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर आयोग द्वारा बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु जागरूकता अभियान चलाने हेतु चर्चा/प्रस्ताव। 4. महानुभावों के मोबाइल नं0 को CUG में कन्वर्ट कर लिया जाए उसका भुगतान आयोग द्वारा उनके पद दायित्व तक किया जाने हेतु प्रस्ताव । 5. जनपदवार छोटी–छोटी संगोष्ठी व बैठक किये जाने हेतु प्रस्ताव।	1. आयोग के ढांचे के संबंध में शासन को पुनः अनुस्मारक पत्र प्रेषित किये जान पर सहमति बनी। 2. जिस पर सचिव महोदय द्वारा नियुक्तियां शासनादेशानुसार सर्विस प्रदात्ता के माध्यम से लेने हेतु सहमति प्रदान की गयी। 3. जिसमें समाज कल्याण विभाग को पत्राचार करने हेतु सहमति बनी। 4. जिसमें मासिक 500रूपये भुगतान किये जाने पर सहमति बनी। 5. जनपदवार छोटी–छोटी संगोष्ठी व बैठक किये जाने हेतु प्रस्ताव पर सहमति बनी। उक्त बिन्दुओं पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ।

सचिव
उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बोर्ड बैठक
दिनांकः 24.01.2024 का कार्यवृत

क0सं0	विषय	बिन्दु	निर्णय
01.	विभागाध्यक्ष **Head of the Department (HOD)**	'ाासन के पत्र संख्या–621 / XVII(4)/2022-230/2010 दिनांकः 13.06.2020 के क्रम में सचिव, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग को आयोग का Head of the Department (HOD) बनाये जाने का प्रस्ताव शासन में प्रचलित है। उक्त क्रम में आयोग द्वारा अपने पत्र सं0–865 / SCPCR.UK / 2023–24 दिनांकः 27 जुलाई, 2023 1557 / SCPCR.UK / 2023–24 दिनांकः 08 नवम्बर, 2023 एवं 1641 / SCPCR.UK / 2023–24 दिनांकः 04 दिसम्बर, 2023 शासन को प्रेषित किया गया है।	इस संबंध में बोर्ड की बैठक में चर्चा की गयी, जिसमें सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि आयोग का Head of the Department (HOD) बनाये जाने के प्रस्ताव पर पुनः अनुस्मारक पत्र शासन को प्रेषित करते हुए शासन स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया व उक्त बिन्दु को पुनः बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत न किये जाने के निर्देश किये गये।
02.	महानुभावों का स्तर (दर्जा)	उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पत्र संख्या–256 / SCPCR.UK / 2022–23 दिनांकः 28 अप्रैल, 2022 के द्वारा उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग में नियुक्त महानुभावों के स्तर (दर्जा) के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है, जिस हेतु आयोग द्वारा पुनः पत्र संख्या– 656 दिनांक 12.07.2022, पत्र संख्या– 1279 दिनांक 11.10.2022 एवं पत्र सं0–1120 दि0– 04.09.2023 के माध्यम से भी उत्तराखण्ड शासन को पत्र प्रेषित किये गये है।	इस संबंध में बोर्ड की बैठक में चर्चा की गयी, जिसमें सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 अध्यक्ष महोदय के दर्जे का स्पष्ट उल्लेख करते हुए शासनादेश के क्रम में श्रेणी हेतु पुनः अनुस्मारक पत्र शासन को प्रेषित कर पैरवी की जाए। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
03.	उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग हेतु एस0ओ0पी0	उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग हेतु एस0ओ0पी0 बनाये जाने पर स्वीकृति / अनुमति पूर्व बोर्ड बैठक में प्रदान की गयी है, जिसके क्रम आयोग द्वारा अपने पत्रांक सं0–1233 दि0–26.09.2023 के माध्यम से सहायता हेतु अन्य आयोगों की एस0ओ0पी0 उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रषित किया गया है।	इस संबंध में बोर्ड की बैठक में चर्चा की गयी, जिसमें सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि एस0ओ0पी0 हेतु अन्य राज्यों (उ0प्र0, गोवा, पश्चिम बंगाल, असम व केरला) से उनकी एस0ओ0पी0 प्राप्त कर ली जाए। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया व इस हेतु मा0 सदस्य श्री विनोद कपरवाण को नोडल अधिकारी नामित किया गया।
04.	आयोग स्तर पर प्रस्तावित कार्यशाला	1. दि0–24.01.2024 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राजभवन, उत्तराखण्ड, देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें परिचर्चा बैठक के साथ–साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाले बाल विधायकों, साहसी कार्य करने वाले बच्चों व राज्य के विषिश्ट व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को सम्मानित किये जाने का निर्णय । 2. दि0– 12, 13 व 14 फरवरी, 2024 को राष्ट्रीय	1. दि0–24.01.2024 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राजभवन, उत्तराखण्ड, देहरादून में कार्यक्रम समापन। 2. इस संबंध में बोर्ड की बैठक में चर्चा की गयी, जिसमें सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी माह की दि0– 12, 13 व 14 फरवरी, 2024 को राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किये जाने पर सहमति बनी । इस हेतु शासन से धनराशि रूपये 16,20,000 / – व्यय किये जाने की स्वीकृति प्राप्त की गयी है। इस हेतु व्यय होने वाले